न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/301/2016

उनवान

1. भंवर सिंह पिता खिम सिंह रावत निवासी निवासी भादसी पटवार हल्का भासंदी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/वादी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, जिला वन कार्यालय, भीलवाडा
2. रेंजर, रेंज कार्यालय, वन विभाग, बदनोर, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के
प्रकरण संख्या 186/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015

अभिभाषक : 1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओम प्रकाश सोनी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

आदेश

दिनांक 4.07.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136,111,116 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को मौजा भादसी पटवार हल्का भादसी में दिनांक 10.4.1985 को मिसल नम्बर 149/85 नोन कमाण्ड दर्ज होकर खसरा नम्बर 2084 में से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन दिनांक 29.8.1985 को किया गया व पट्टा जारी किया गया। नियमानुसार मौके पर पटवार हल्का भादसी प्रथम ने उक्त खसरा नम्बर में रकबा नाप कर कब्जा दिया । जिस पर वादी वक्त अलोटमेंण्ट से आज तक लगातार काबिज है। उक्त भूमि के चारों तरफा वादी ने पत्थरों की कोट बनाई है एवं भूमि को काबिलकाश्त बनाने में काफी फैसा एवं परिश्रम लगाया है। खाता संख्या 1 में इन्तकाल नम्बर 520 से वादी के नाम वादग्रस्त आराजी गैर खातेदरी से दर्ज हुई। जो जमाबंदी संवत 2036 से 2039 में दर्ज रेकार्ड है। सेटलमेण्ट विभाग ने बिना किसी आदेश व सक्षम न्यायालय के डिक्री के विधि से परे जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वादी के रकबे को दर्ज कर दिया जो वर्तमान आराजी नम्बर 3223 रकबा 11.12 हेयर गैर मुमकिन मगरी दर्ज कर मर्ज कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है। अतः हाल आराजी नम्बर 3223 रकबा 11.12 हेक्टर भूमि में से 1.08 हेक्टेयर भूमि कम की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर जो प्रभारी अधिकारी बदनोर थे धारा कैम्प लोक अदालत भादसी मे निर्णय पारित किया था परन्तु पत्रावली प्राप्त नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय की प्रति अपीलार्थी को यथासमय नहीं मिल सकी थी। पत्रावली प्राप्त होने पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन मामले में तनकियात कायम नहीं की गई थी एवं न ही वादी की कोई साक्ष्य ली गई थी। अपीलार्थी को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी को मौजा भादसी खसरा नम्बर 2084 में से 5 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन दिनांक 29.8.1985 को किया गया व पट्टा जारी किया गया। नियमानुसार मौके पर पटवार हल्का भादसी प्रथम ने उक्त खसरा नम्बर में रकबा नाप कर कब्जा दिया । जिस पर वादी वक्त अलोटमेंण्ट से आज तक लगातार काबिज है। उक्त भूमि के चारों तरफा वादी ने पत्थरों की कोट बनाई है । भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग ने अपीलार्थी की कब्जेसुदा वर्तमान आराजी नम्बर 3223 रकबा 11.12 हेयर गैर मुमकिन मगरी दर्ज कर अपीलार्थी का रकबा मर्ज कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है। अतः हाल आराजी नम्बर 3223 रकबा 11.12 हेक्टर भूमि में से 1.08 हेक्टेयर भूमि कम की जाकर जिस पर वर्तमान में वादी काबिज है । उक्त 1.08 हेक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

6. प्रत्यर्थीगण की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी को जो भूमि आवंटित की गई उस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि पर काबिज नहीं होकर वह वर्तमान में जो भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है उस पर काबिज होने का कथन करता है । जबकि उक्त भूमि पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. अपीलार्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 3223 रकबा 11.12 हेक्टर भूमि में से 1.08 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी/वादी ने काबिज होने का कथन किया है एवं यह भी कथन किया है कि आवंटन के समय से अपीलार्थी वादी इसी भूमि पर काबिज है। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/वादी को ग्राम भादसी तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर 2084 में रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। इन्तकाल नम्बर 520 के द्वारा अपीलार्थी/वादी के नाम आवंटित भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई हैं। जिसकी पुष्टि जमाबंदी संवत 2036 से 2039 से होती है। आराजी नम्बर 2084 मीन के हाल नम्बर 3223 रकबा 11.12 हेक्टेयर कायम किये गये है। जिसकी ताईद प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से होती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी/वादी को जो भूमि आवंटित की गई थी उसके नये नम्बर क्या बने हैं। वादग्रस्त भूमि पर कब्जे बाबत अपीलार्थी/वादी ने कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

9. अपीलार्थी/वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो इस बाबत कोई दस्तावेजी रेकार्ड से साबित नहीं कर पाया है जबकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थी/वादी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया था। कैम्प दिनांक 9.7.2015 में अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज होकर साक्ष्य का अवसर भी दिया गया है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा में भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी/वादी का कब्जा साबित होता हो। चूंकि वादी अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं कर सका था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/301/2016

उनवान

1. भंवर सिंह पिता खिम सिंह रावत निवासी निवासी भादसी पटवार हल्का भासदी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/वादी

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, जिला वन कार्यालय, भीलवाडा
2. रेंजर, रेंज कार्यालय, वन विभाग, बदनोर, तहसील बदनोर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 186/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/130/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, बदनोर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 4.7.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मुनीर गनी वकील एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री ओम प्रकाश सोनी राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 4.7.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 4.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस